

नगर परिषद, सांचोर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SANCHORE/FIRENOC/2025-26/55149
जारी दिनांक: 02-JUL-2025 वैधता दिनांक: 01-JUL-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: BHAGIRATH BISHNOI
आवेदक का पता: RAWASTAR HOUSE, 3RD PHASE VTC SANCHORE DIST JALORE

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE PARAWA, 2082/2042 AND 2019/2042, VILLAGE PARAWA CHITLWANA, DIST JALORE, , JALORE, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन में समस्त स्टाफ व सिक््योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वालनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- यदि राज्य सरकार या परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उप नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट के लिये मान्य नहीं है। जिस भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सांचोर